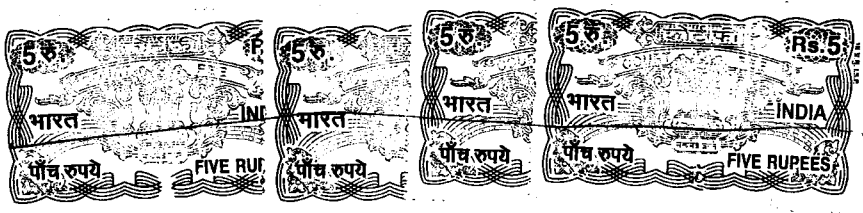

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(82)

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015–16 निगरानी निग-1016-PBR-16

1. तुलसीराम पुत्र श्री धनीराम
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री तेज सिंह, निवासीगण– हनुमान बांध के पास, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) ––––**प्रार्थीगण**

बनाम

दिनांक 28.3.16 को श्री का० श्र० गौड़ अधि० द्वारा प्रस्तुत

28.3.16

SO

28/3/16

1. पूरन सिंह पुत्र श्री धनीराम, निवासी–मस्तान बाबा की दरगाह के पास, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.)
2. जयप्रकाश पुत्र श्री तेजसिंह
3. राजेन्द्र पुत्र तेजसिंह
4. केलाश पुत्र श्री तेजसिंह
5. श्रीमती फूलादेवी पत्नी श्री तेजसिंह समस्त निवासीगण–समाधिया कॉलोनी, बी ब्लॉक के पीछे, लश्कर, ग्वालियर
6. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व. श्री भगवानसिंह,
7. कमलेश पुत्री स्व. श्री भगवान सिंह, निवासीगण –हनुमान बांध के पास, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
8. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री भगवान सिंह पत्नी श्री सुनील कुशवाह, निवासी–आदर्श मिल के पास, रेलवे फाटक, घोसीपुरा, ग्वालियर
9. राहुल पुत्र स्व. श्री जगदीश नाबालिग
10. मोहिनी पुत्री स्व. श्री जगदीश नाबालिग सरपरस्त माँ श्रीमती पार्वतीबाई पत्नी जगदीश
11. पार्वती बाई पत्नी स्व. श्री जगदीश समस्त निवासीगण–हनुमान बांध के पास, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

Rs-1 su.

–––**प्रतिप्रार्थीगण**

...esh Sharma
...oj Shrivastava
Lashkar Gwalior
9827070827
9826347465

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,

विरूद्ध आदेश दिनांक 23/12/2015 पारित न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–285/13–2014 अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1016–पीबीआर/16 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2017	अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–1–14 की पुष्टि की गई है । इस बीच अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–1–14 के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–9–16 को पुनः बटवारा आदेश पारित कर दिया है, जिसकी अपील भी आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है । अतः अब इस निगरानी को सुने जाने का औचित्य नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	